मो0 सोहैल, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में दिनांक 02.08.2016 को आयोजित आपूर्ति विभाग के कार्यो की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :

पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का बैठक में स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड का सत्यापनः-

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना द्वारा संसूचित निदेश के आलोक में ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड का सत्यापन एवं राशन कार्डधारियों मे से अयोग्य परिवारों को हटाने संबंधित सर्वेक्षण पद्धति (method of survey) की समीक्षोपरांत निर्णय लिया गया कि पूर्व मुद्रित प्रपत्र में नाम सुधार, आधार सिडिंग, बैंक खाता का विवरण, मोबाईल संख्या, सदस्यों के गॉव में रहने की स्थिति तथा अन्य विन्दुओं से संबंधित सर्वेक्षण कार्य आंगनवाड़ी सेविका से कराया जाय।

- अयोग्य परिवारों को हटाने संबंधित सर्वेक्षण दिये गये प्रपत्र में पूर्व में दिये गये निदेश के अनुसार यथावत विकास मित्र/इंदिरा आवास सहायक/टोला सेवक/ अन्य कर्मियों के द्वारा किया जायेगा। इस संबंधित आदेश प्रारूप जिला आपूर्ति पदाधिकारी अविलंब उपस्थापित करेगें।
- अनुमंडल पदाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत सर्वेक्षण कार्यो की सतत पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण प्रतिदिन करते रहेगें तथा प्रगति प्रतिवेदन से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायेगें।

(2) खाद्यान्न उठावः-

जिलाधिकारी द्वारा बैठक में पूर्विकताप्राप्त एवं अन्योदय योजना के खाद्यान्न की उठाव एवं वितरण की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम पाया गया कि माह जुन,2016 में कुल 1186 प्रिंट एस0आई0ओ0 के विरूद्ध 1074 एस0आई0ओ0 डिस्पैच एवं माह जुलाई,2016 में कुल 1169 प्रिंट एस0आई0ओ0 के विरूद्ध मात्र 140 एस0आई0ओ0 डिस्पैच हुआ है। एस0आई0ओ0 डिस्पैच की स्थिति धीमी को देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा गंभीरता से लेते हुए राज्य खाद्य निगम गोदाम के गोदाम प्रबंधक से पृच्छा किये जाने पर गोदाम प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि परिवहन कर्त्ता द्वारा ट्रेक्टर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नही कराये जाने के कारण खाद्यान्न की उठाव धीमी है। इस संदर्भ में मधेपुरा अनुमंडल क्षेत्र के परिवहन अभिकर्त्ता द्वारा बताया गया कि धान रोपनी के कारण ट्रेक्टर पर्याप्त संख्या में गोदाम पर नही पहुॅच रहा है।

परिवहन अभिकर्त्ता के इन कथन पर जिलाधिकारी द्वारा गंभीरता से लेते हुए जिला प्रबंधक को निदेशित किया गया कि परिवहन अभिकर्त्ता पर नियमानुसार पैनाल्टी लगाकर भुगतेय राशि में कटौती किया जाय तथा अनुपालपन प्रतिवेदन से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाय। साथ ही

भविष्य में परिवहन अभिकर्त्ता द्वारा डोर स्टेप डिलेवरी हेतु पर्याप्त मात्रा में ट्रेक्टर उपलब्ध नही करता है तो इनके अनुबंध को रद्द करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई किया जाय।

बैठक जिलाधिकारी द्वारा जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा को यह भी निदेश दिया गया कि वे प्रखंडवार/गोदामवार खाद्यान्न के उठाव की आकलन कर ट्रेक्टर की उपलब्धता परिवहन अभिकर्त्ता से कराते हुए दिनांक 10.08.2016 तक माह जुलाई,2016 के खाद्यान्न का उठाव डोर स्टेप डिलेवरी के तहत शतप्रतिशत कराना सुनिश्चित करायेगें, ताकि लाभार्थियों के बीच खाद्यान्न का वितरण ससमय कराया जा सकें। इसमें किसी प्रकार के लापरवाही संबंधित पदाधिकारी/परिवहन अभिकर्त्ता पूर्ण रूपेण जबावदेह होगें।

<u>(3) खाद्यान्न वितरणः-</u>

बैठक में खाद्यान वितरण की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मधेपुरा जिला को निदेशित किया गया जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं के बीच निर्धारित मात्रा एवं निर्धारित दर के अनुरूप अपने देख-रेख में खाद्यान्न का वितरण करायेगें। यदि किसी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के विरूद्ध उपभोक्ताओं से कम खाद्यान्न वितरण किये जाने की शिकायत प्राप्त होती है तो तुरंत जॉच कर दोषी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के विरूद्ध अभिलंब कार्रवाई करने का प्रस्ताव संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को देगें। खाद्यान्न/किरासन तेल की वितरण व्यवस्था में किसी प्रकार अनियमितताये संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।

इसी क्रम में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि राज्य खाद्य निगम गोदाम से खाद्यान्न की आपूर्ति मधेपुरा स्थित धर्मकॉटा पर तौल कर किया जाता है। इस खाद्यान्न को जब सिंहेश्वर स्थित धर्मकॉटा पर तौला जाता है तो प्रायः एक से दो क्वी खाद्यान्न की कमी आती है। इस संबंध में गोदाम प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि गोदाम परिसर में खाद्यान्न तौलने हेतु मशीन लगा हुआ नही है, फलस्वरूप मधेपुरा स्थित धर्मकॉटा पर तौल कर दिया जाता है।

जिलाधिकारी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि वे राज्य खाद्य निगम गोदाम से आपूर्ति किये जा रहे खाद्यान्न का सही वजन के साथ उठाव कराने संबंधित अग्रेतर कार्रवाई करेगें।

<u>(4) जी0पी0एस0 :-</u>

जिलाधिकारी द्वारा परिवहन अभिकत्ता (संवेदक) को निदेश दिया गया कि राज्य खाद्य निगम के गोंदाम से जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को आपूर्ति करने वाले गाड़ियों में जी0पी0एस0 सिस्टम ऑफ नही रहे । इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा जिला प्रबधंक राज्य खाद्य निगम को निदेश दिया गया कि जिस गाड़ी का जी0पी0एस0 सिस्टम ऑफ रहता है, परिवहन अभिकर्त्ता को होने वाले भुगतान मे से विधिवत् कटौती की जाय।

<u>(5) निरीक्षणः-</u>

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता का किये गये निरीक्षण को जिलाधिकरी द्वारा की गई समीक्षोपरांत सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को निदेश दिया

गया कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रखंड के कार्यरत जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं मे से प्रत्येक सप्ताह कम से 10 दूकानों का निरीक्षण कर विहित प्रपत्र में निरीक्षण प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निरीक्षण का फोटो SupplyWatch (Whatspp) पर भी अपलोड करें। इसके अतिरिक्त होटल/मिष्ठान भंडार की दूकानों में गैस सिलिण्डर की भी जॉच प्रत्येक सप्ताह की जाय।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह०/-
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक...601........./आ0, मधेपुरा, दिनांक 05.08.2016

प्रतिलिपिः- परिवहन अभिकर्त्ता मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम,मधेपुरा/सभी सहायक गोदाम प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम,मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी,मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- क्षेत्र प्रबंधक,भारतीय खाद्य निगम,मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी,मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप निदेशक,खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति,कोशी प्रमंडल,सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त,कोशी प्रमंडल,सहरसा को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना बिज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने तथा सभी संबंधितों को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।
5/8/16